Request- 90

31-3-05

5766

Reg
File IV/2883
Serial 98

31/3/05

1/4/05

27-10-05

From:

G.K. Chaturvedi, H.J.S.,
Registrar (Budget),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To:

The District Judge,
Varanasi.

No. /Admn.(B-II)Section Dated : March , 2005.

Subject : Allotment of the amount of Rs.24,227/- of reimbursement of medical expenses so incurred by Sri Prafulla Kumar, Civil Judge (Jr. Div.) for his son's treatment.

Sir,

With reference to Court's letter No.11418/IV-Admn., dated 27.7.2004, on the above subject, I am directed to say that out of the additional grant sanctioned by the Government *vide* G.O. No.768/VII-Nyay-9(Budget)-2005-17(B)2004, dated March 11, 2005 in the preliminary unit **"49-Medical Expenses"**, in sub-head **"03-District & Sessions Judge"**, under the account head **"2014-Administration of Justice-105-Civil and Sessions Court"**, in the current financial year 2004-05, the amount of Rs.24,227/- rest amount of medical reimbursement of expenses so incurred by Sri Prafulla Kumar, Civil Judge (Jr. Div), was sanctioned by the Government. As such the Court has been pleased to allot you a total sum of Rs.24,227/- (Rupees twenty four thousand two hundred and twenty seven) only in the preliminary unit **"49-Medical Expenses"**, in sub-head **"03-District & Sessions Judge"**, under the account head **"2014-Administration of Justice-105-Civil and Sessions Court"**, in the current financial year 2004-05, for making its payment to Sri Prafulla Kumar, Civil Judge (Jr. Div.).

I am, therefore, to request you kindly to draw the aforesaid amount of Rs.24,227/- (Rupees twenty four thousand two hundred and twenty seven) only and make its payment to Sri Prafulla Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), under intimation to the Court.

1202
S.O. Admn.

D.R.(M)
30-03-2005

Yours faithfully,

/

Registrar (Budget)

No. 746 /Admn.(B-II)Section Dated : March 21, 2005.

Copy forwarded for information and necessary action to :

1. The Treasury Officer, Varanasi.
2. Sri K.C. Srivastava, Deputy Registrar (M), High Court, Allahabad.
3. Sri Prafulla Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Varanasi.

Sri S.K.T.
PDF
28.10.05

By Order of the Court,

19-03-05
Registrar (Budget).

D.R.(M)
For information only.
May file?

File
29/X/05

28-6-05

28.6.05

Request-90

4157

Register No. ....
File No. IV/2883
Serial No. 27

D-563
22/2/05

909

प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,
वाराणसी ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक 238/ दिनांक.वाराणसी : फरवरी 16, 2005

विषय :- श्री प्रफुल्ल कमल,तत्कालीन अपर सिविल जज(जू.डि.) वर्तमान न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वाराणसी के पुत्र के हृदय रोग चिकित्सा हेतु रू.1,14,227/-में से पूर्व आहरित रू.90,000/-के अलावा शेष राशि रू.24,227/-मात्र के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में ।

महोदय,

उक्त विषयक संदर्भ में मुझे यह ससम्मान सूचित करना है कि उत्तर प्रदेश शासन के स्वीकृति आदेश पत्रांक सं.4820/दो-4-2003-53(15)2003 दिनांकित 23.6.2004 द्वारा श्री प्रफुल्ल कमल को प्रतिपूर्ति राशि के रूप में कुल रू.1,14,227/- स्वीकृत किया गया था । इस धनराशि में से मात्र रू.90,000/-हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पत्रांक 4053/ए जी एम एन(बी-II लेखा), इलाहाबाद के माध्यम से बजट आवंटित होकर प्राप्त हुआ था । प्राप्त बजट के आधार पर उन्हें रू.90,000/- का भुगतान किया जा चुका है । अब भी श्री प्रफुल्ल कमल को उक्त मद में रू 24,227/- का भुगतान किया जाना शेष है ।

अत: आपसे अनुरोध है कि कृपया श्री प्रफुल्ल कमल को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु शेष रू.24,227/- के भुगतान के लिए बजट आवंटित करने का कष्ट करें । सुलभ संदर्भ हेतु उक्त वर्णित पत्रों की छाया प्रतियाँ एतद्द्वारा प्रेषित किया जा रहा है ।

भवदीय,

(जिला न्यायाधीश,
वाराणसी ।

दिनांक :

संलग्नक :- यथोपरि।

814
S.O. Admn. M/A1

D-R(A)
04-03-05

17
D.R.H.
3 MAR 2005

Request-90

REGISTERED

From:

Sri K.C.Srivastava,
Deputy Registrar,
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

The District Judge,
Varanasi.

No. 11417 /IV-2883/Admin.(A-1)/Dated:Allahabad: 27.7.,2004.

Subject: Regarding sanction of reimbursement claim of medical expenses amounting to Rs. 1,14,227/- to Sri Prafulla Kamal, Additional Civil Judge, (Junior Division), Varanasi incurred in the treatment of heart of his son at Escorts Heart Institute, New Delhi.

Sir,

I am directed to send herewith a copy of Government letter no. 4820/II-4-2003-53(15)/2003, dated 23.6.2004 alongwith its enclosures (original bill/vouchers as well as other papers regarding medical reimbursement claim), on the above subject, and to say that the Government has been pleased to sanction Rs. 1,14,227/- (Rs. One Lakh Fourteen Thousand Two Hundred Twenty Seven only) to Sri Prafulla Kamal, Additional Civil Judge, as medical reimbursement claim.

I am, therefore, to request you kindly to make assure the payment of aforesaid amount of medical reimbursement claim to Sri Prafulla Kamal in accordence with G.O. No. 4820/II-4-2003-53(15)/2003, dated 23.6.2004 from the Varanasi Treasury under intimation to this Court.

Enclosure: As above.

Yours faithfully,

Srivastava

DEPUTY REGISTRAR.
26/7/2004

P.T.O.

Copy forwarded to II T.M. for information.
5/8/04

No. /IV-2883/Admin.(A-1)/Dated:Allahabad: , 2004.

Copy forwarded for information and necessary action alongwith copy of Government letter no. 4820/II-4-2003-53(15), dated 23.6.2004 to:-

1. The Joint Registrar (Budget), High Court, Allahabad.
2. The Treasury Officer, Varanasi.
3. The Joint Director Treasuries, New Treasury Building, Ist Floor, Kutchery Road, Allahabad.
4. Sri Prafulla Kamal, Additional Civil Judge, (Junior Division), Varanasi.

Enclosure: As above.

DEPUTY REGISTRAR.

Request-90/ [illegible] 13/9/04

From:

G.K. Chaturvedi, H.J.S.,
Registrar (Budget),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To

The District Judge,
Varanasi.

No. Admn.(B-II)Section Dated : September , 2004.

Subject : Allotment of the amount of Rs.90,000 of reimbursement of medical expenses so incurred by Sri Prafulla Kamal, Additional Civil Judge (Jr. Div.), for his sons's treatment.

Sir,

With reference to Court's letter No.11417/4-2883 Admn.(A-1), dated 27.7.04, on the above subject, I am directed to say that the amount of Rs.1,14,227/- only of re-imbursement of medical expenses so incurred by Sri Prafulla Kamal, Additional Civil Judge (Jr. Div.), Varanasi, was sanctioned by the Government through its G.O. No.1320 P-4-2004-[illegible](13)/2003, dated 23.6.04. As such the Court has been pleased to allot you a total sum of Rs.90,000/- (Rupees ninety thousand) only in the Preliminary and "49-Medical Expenses" in sub-head "03-District and Sessions Judge" under the Account Head "2014-Administration of Justice-Ayojanetta -105-Civil and Sessions Courts", in the current financial year 2004-05 for making its payment to Sri Prafulla Kamal.

I am, therefore, to request you kindly to draw the allotted amount of Rs.90,000/- (Rupees ninety thousand) only and make its payment to Sri Prafulla Kamal, under intimation to the Court.

Yours faithfully,

Registrar (Budget)

No. 11053 Admn.(B-II)Section Dated : September 14, 2004.

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. The Treasury Officer, Varanasi
2. Special Secretary to Government of U.P., Appointment Section-4, Lucknow, with reference to G.O. dated 23.6.04, cited above.
3. Sri K.C. Srivastava, Deputy Registrar (M), High Court, Allahabad.
4. Sri Prafulla Kamal, Additional Civil Judge (Jr. Div.), Varanasi.

By Order of the Court,

G.K. Chaturvedi 13/09/04

Registrar (Budget)

Copy forwarded to [illegible] for information.

[illegible] 13.9.04

Request-90

रजिस्टर्ड

संख्या-४८ /दो-४-२००३-५३(१५)/२००३

प्रेषक,

मोहन सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबंधक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

अनुभाग-४ — लखनऊः दिनांक 23 जून,२००४

विषयः- विकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ० प्र० सरकारी कर्मचारी (विकित्सा परिचर्या) नियमावली,१९४६ यथासंशोधित नियमावली १९६८ के अनुक्रम में चिकित्सा विभाग शासनादेश संख्या- ११३५/ पाँच-६-२००१-२९४/९६ दिनांक २७.६.२००१ में निहित प्राविधानों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय श्री प्रफुल्ल कमल अपर सिविल जज (जू०डि०) वाराणसी के पुत्र श्री अर्पित के प्रदेश के बाहर एस्कार्ट हार्ट इन्सटीट्यूट एण्ड रिसर्च सेंटर नई दिल्ली में दिनांक-२.८.२००३ से १७.८.२००३ तक करायी गयी चिकित्सा पर हुए व्यय रूपये १,१४,२२७/- (रूपये एक लाख चौंदह हजार दो सौ सताईस मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उक्त चिकित्सा दावे से सम्बन्धित बिल/वाउचर्स मूलरूप में संलग्न है।

२- उक्त स्वीकृति के भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उनके द्वारा इससे पूर्व कोई चिकित्सा अग्रिम तो प्राप्त नहीं किया गया है यदि प्राप्त किया गया हो तो उक्त अग्रिम का समायोजन करके भुगतान किया जाये। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत बिल वाउचर्स का पूर्व में भुगतान नही हुआ है।

३- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष २००४-२००५ के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-४२ के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "२०१४-न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-१०५-सिविल और सेशन्स न्यायालय-०३-जिला एवं सेशन न्यायाधीश-०९-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

४- यह आदेश वित्त विभाग के अशा० संख्या-सा-(२)१०४२/दस-२००४ दिनांक ९.६.२००४ में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः- यथोक्त।

भवदीय,
(मोहन सिंह चौहान)
विशेष सचिव

संख्या-४८२०(१)/दो-४-२००३ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ० प्र० इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, वाराणसी।
3. जिला जज, वाराणसी।
4. संयुक्त निदेशक, कोषागार, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
5. श्री प्रफुल्ल कमल, अपर सिविल जज (जू०डि०) कोर्ट सं.-२ वाराणसी।

आज्ञा से,
(यतीन्द्र मोहन)
अनु सचिव

(2421) Request-90 Registered

To

The District Judge,
Varanasi

25
No. 207 /IV-2883-Admn. (A-1) Dated 5-1-05

Subject:- Regarding sanction of reimbursement claim of medical expenses amounting to Rs. 1,14,227/= to Sri Prafulla Kamal, Addl. Civil Judge, (Junior-Division) Varanasi, incurred in the treatment of heart of his son at Escorts Heart Institute, New Delhi.

Sir,

With reference to your letter No. 1144/I dated 20-01-2004, on the above subject, I am directed to say that inadvertently medical reimbursement papers regarding aforesaid medical reimbursement claim of Sri Prafulla Kamal were not returned to you through court's letter No. 11417/IV-2883-Admn. (A-1) dated 27-7-2004 so far.

I am enclosing herewith original papers regarding reimbursement claim amounting to Rs. 1,14,227/= of Sri Prafulla Kamal for taking necessary action.

Yours faithfully

[signature]

Deputy Registrar
A.I.O.

Encl:- As above

D.R. (M)
May issue with the approval of Registrar(B)
[signature] 20-12-04
[signature] 21/12

Registrar (B)
May kindly approve
[signature]
D.R.(M)
21/12/04

Approved
[signature] 21/12/04

Issue
[signature]
22/12/04

No. 208 /IV-2001 - Admn (A-1) Dated ... 5.1.05
26
Copy forwarded to Sri Prafulla Kamal, Civil Judge, (Junior Division) Varanasi, for information.

Zoruvastava
Deputy Registrar

Request-90

15564

IV/2883

23

From:

G.K. Chaturvedi, H.J.S.,
Registrar (Budget),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To:

The District Judge,
Varanasi.

No. /Admn.(B-II)Section Dated : September , 2004.

Subject : Allotment of the amount of Rs.90,000/- of reimbursement of medical expenses so incurred by Sri Prafulla Kamal Additional Civil Judge (Jr. Div.), for his sons's treatment.

Sir,

With reference to Court's letter No.1141/4-2883/Admn.(B-1), dated 27.7.04, on the above subject, I am directed to say that the amount of Rs.1,14,227/- only of re-imbursement of medical expenses so incurred by Sri Prafulla Kamal, Additional Civil Judge (Jr. Div.), Varanasi, was sanctioned by the Government through its G.O. No. 1320/II-4-2003-53(15)/2003, dated 23.6.04. As such the Court has been pleased to allot you a total sum of Rs.90,000/- (Rupees ninety thousand) only in the preliminary unit "49-Medical Expenses" in sub-head "03-District and Sessions Judge" under the account head "2014-Administration of Justice-Ayojanettar-105-Civil and Sessions Courts", in the current financial year 2004-05 for making its payment to Sri Prafulla Kamal.

I am, therefore, to request you kindly to draw the aforesaid amount of Rs.90,000/- (Rupees ninety thousand) only and make its payment to Sri Prafulla Kamal, under intimation to the Court.

Yours faithfully,

Registrar (Budget)

No. 4053 /Admn.(B-II)Section Dated : September 14 2004

Copy forwarded for information and necessary action to :

1. The Treasury Officer, Varanasi.
2. Special Secretary to Government of U.P., Appointment Section-4, Lucknow, with reference to G.O. dated 23.6.04, cited above.
3. Sri K.C. Srivastava, Deputy Registrar (M), High Court Allahabad.
4. Sri Prafulla Kamal, Additional Civil Judge (Jr. Div.), Varanasi

By Order of the Court,

13/09/04

Registrar (Budget)

S.O. Admin. M/A1

D.R.(M)
15-9-2004

Sri SKT
RA1
17/12/04

Request_go
148931

Register No. ....
File No. IV/2003
Serial No 22 ... 7/9/04

7-9-04

R 2844
1/9/04

प्रेषक,

जिलाधीश न्यायाधीश,
वाराणसी।

सेवा में,

महा- निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक: 1144 /I दिनांक:वाराणसी :अगस्त 28 2004ई०

विषय: श्री प्रफुल्ल कमल तत्कालीन अपर सिविल जज(जू०डि०) वर्तमान न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय, वाराणसी के पुत्र के हृदयरोग चिकित्सा हेतु रु० 1,14,227•00 मात्र के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे यह ससम्मान सूचित करना है कि उक्त विषयक सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृति आदेश पत्रांक सं0-4820/दो-4-2003-53(15) 2003 दिनांकित 23•6•2004 व माननीय न्यायालय का पत्रांक 11418/चार-2883/ए डी एम एन(एन-1) दिनांक-27•7•2004 इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। माननीय न्यायालय के पत्र में यह उल्लिखित है कि पत्र के साथ समस्त मूल बिल व वाउचर्स इस कार्यालय को प्रेषित किये जा रहे हैं, जब कि पत्र के साथ बिल व वाउचर्स संलग्न नहीं है। साथ ही उत्तर प्रदेश शासन के पत्र में पैरा(3) में यह उल्लेख है कि उक्त व्यय को किस अनुदान संख्या/लेखा शीर्षक से आहरित किया जाय, परन्तु माननीय न्यायालय द्वारा बजट आवंटन के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया है। बिल/वाउचर्स व बजट के अभाव में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु देयक बना पाना संभवनहीं हो पा रहा है।

अत: आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण से सम्बन्धित मूल बिल/वाउचर्स भेजने व बजट आवंटित करने का कष्ट करें। यदि बजट आवंटित हो तो उस सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रार्थित है। सुलभ सन्दर्भ हेतु उक्त वर्णित पत्रों की छायाप्रति एतद्द्वारा संलग्न की जा रही है।

भवदीय,

जिला न्यायाधीश,
वाराणसी।

संलग्नक-
यथोपरि।

(3361)
S.O. Admn. M/A1

D. R(M)
04-9-2004

04 SEP 2004

8/9/04
16-12-04
Regd

Request - 90

रजिस्टर्ड

संख्या-४८२०/दो-४-२००३-५३(१५)/२००३

प्रेषक,

मोहन सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबंधक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-४ लखनऊः दिनांकः 23 जून,२००४

विषयः- चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ० प्र० सरकारी कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली,१९४६ यथासंशोधित नियमावली १९६८ के अनुक्रम में चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या- ११३५/पाँच-६-२००१-२६४/९६ दिनांक २७.६.२००१ में निहित प्राविधानों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय श्री प्रफुल्ल कमल अपर सिविल जज (जू०डि०) वाराणसी के पुत्र श्री अर्चित के प्रदेश के बाहर एस्कार्ट हार्ट इन्स्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेंटर नई दिल्ली में दिनांक-३.८.२००३ से १०.८.२००३ तक करायी गयी चिकित्सा पर हुए व्यय रूपये १,१४,२२७/- (रूपये एक लाख चौदह हजार दो सौ सताईस मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उक्त चिकित्सा दावे से सम्बन्धित बिल/वाउचर्स मूलरूप में संलग्न है।

२- उक्त स्वीकृति के भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उनके द्वारा इससे पूर्व कोई चिकित्सा अग्रिम तो प्राप्त नहीं किया गया है यदि प्राप्त किया गया हो तो उक्त अग्रिम का समायोजन करके भुगतान किया जाये। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत बिल वाउचर्स का पूर्व में भुगतान नही हुआ है।

३- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष २००४-२००५ के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-४२ के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "२०१४-न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-१०५-सिविल और सेशन्स न्यायालय-०३-जिला एवं सेशन न्यायाधीश-४६-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

४- यह आदेश वित्त विभाग के अशा० संख्या-सा-(२)१०४२/दस-२००४ दिनांक ९.६.२००४ में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नकः- यथोक्त।

भवदीय,
(मोहन सिंह चौहान)
विशेष सचिव

संख्या-४८२०(१)/दो-४-२००३,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवंआवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(१) महालेखाकार, उ० प्र० इलाहाबाद।
(२) कोषाधिकारी, वाराणसी।
(३) जिला जज, वाराणसी।
(४) संयुक्त निदेशक, कोषागार, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
(५) श्री प्रफुल्ल कमल, अपर सिविल जज (जू०डि०) कोर्ट सं.-२ वाराणसी।

आज्ञा से,
(यतीन्द्र मोहन)
अनु सचिव

Request 90

REGISTERED

From:

Sri K.C.Srivastava,
Deputy Registrar,
High Court of Judicature at
Allahabad.

420
5/8/04

To,

The District Judge,
Varanasi.

No. 11417 /IV-2883/Admin.(A-1)/Dated:Allahabad: 27-7-,2004.

Subject: Regarding sanction of reimbursement claim of medical expenses amounting to Rs. 1,14,227/- to Sri Prafulla Kamal, Additional Civil Judge, (Junior Division), Varanasi incurred in the treatment of heart of his son at Escorts Heart Institute, New Delhi.

Sir,

I am directed to send herewith a copy of Government letter no. 4820/II-4-2003-53(15)/2003, dated 23.6.2004 alongwith its enclosures (original bill/vouchers as well as other papers regarding medical reimbursement claim), on the above subject, and to say that the Government has been pleased to sanction Rs. 1,14,227/- (Rs. One Lakh Fourteen Thousand Two Hundred Twenty Seven only) to Sri Prafulla Kamal, Additional Civil Judge, as medical reimbursement claim.

I am, therefore, to request you kindly to make assure the payment of aforesaid amount of medical reimbursement claim to Sri Prafulla Kamal in accordence with G.O. No. 4820/II-4-2003-53(15)/2003, dated 23.6.2004 from the Varanasi Treasury under intimation to this Court.

Enclosure: As above.

Yours faithfully,

Srivastava

DEPUTY REGISTRAR.

26/7/2004

P.T.O.

Copy to
II J.M.
5/8/04

Registered

Request - 90

To

The District - Judge,

Varanasi

90

No. 11417 /IV-2883-Admn. (A-1) Dated 27-7-04

Subject:- Regarding sanction of reimbursement claim of medical expenses amounting to Rs. 1,14,227/= to Sri Prafulla Kamal, Addl. Civil Judge, (Junior-Division) Varanasi, incurred in the treatment of heart of his son at Escort, Heart Institute, New Delhi.

Sir,

I am directed to send herewith a copy of Govt. letter No. 4020/II-4-2003-53(15)/2003 dated 23-6-2004 alongwith it's enclosures (original bill/vouchers as well as other papers regarding medical reimbursement claim) on the above subject, and to say that the Govt. has been pleased to sanction Rs. 1,14,227/= (Rs. One lakh fourteen thousand two hundred twenty seven only) to Sri Prafulla Kamal, Addl Civil Judge as medical reimbursement claim.

I am, therefore to request you kindly to make assure the payment of aforesaid amount of medical reimbursement claim to Sri Prafulla Kamal ~~made~~ ~~due~~ in accordance with G.O. No. 4020/II-4-2003-53(15)/2003 dated 23-6-2004

P.T.O.

D.R.(M) may issue with the approval of Registrar (B)?
~~May ...~~
[signature] 22-7-04
[signature] 22-7-04
SO Ad A1

Registrar (B) May kindly approve?
[signature]
D.R.(M)
23/7/04

approved
[signature] 23.07.04
Issued
[signature] 24/7/04

from the Varanasi treasury under intimation to this Court.

Yours faithfully

Sd/- Srivastava

Deputy Registrar

Encl:- As above

No. 21/11418 / IV-2803-Admn. (A-1) Dated 27-7-04

Copy forwarded for information and necessary action alongwith copy of Govt. letter No. 4 VI-20/II-4-2003-53(15) dated 23-6-2004 to:—

1- The Joint Registrar (Budget) High Court, Allahabad.

2- The Treasury Officer, Varanasi.

3- The Joint Director Treasuries, New Treasury Building, I floor, Kutchery Road, Allahabad.

4- Sri Prafulla Kamal, Addl. Civil Judge, (Junior Division) Varanasi.

Encl:- As above

Sd/- Srivastava

Deputy Registrar

Request-90

486
Register No. 14/2883/18

R.A.1418 30/6/04

12-7-04

रजिस्टर्ड

संख्या-४८२०/दो-४-२००३-५३(१५)/२००३

21-7-04

प्रेषक,

मोहन सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबंधक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-४ — लखनऊः दिनांकः 23 जून,२००४

विषयः- चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ० प्र० सरकारी कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली,१९४६ यथासंशोधित नियमावली १९६८ के अनुक्रम में चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या- ११३५/पाँच-६-२००१-२६४/९६ दिनांक २७.६.२००१ में निहित प्राविधानों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय श्री प्रफुल्ल कमल अपर सिविल जज (जू०डि०) वाराणसी के पुत्र श्री अर्चित के प्रदेश के बाहर एस्कार्ट हार्ट इन्स्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेंटर नई दिल्ली में दिनांक-३.८.२००२ से १४.८.२००२ तक करायी गयी चिकित्सा पर हुए व्यय रूपये १,१४,२२७/- (रूपये एक लाख चौदह हजार दो सौ सत्ताईस मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उक्त चिकित्सा दावे से सम्बन्धित बिल/वाउचर्स मूलरूप में संलग्न है।

२- उक्त स्वीकृति के भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उनके द्वारा इससे पूर्व कोई चिकित्सा अग्रिम तो प्राप्त नहीं किया गया है यदि प्राप्त किया गया हो तो उक्त अग्रिम का समायोजन करके भुगतान किया जाये। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत बिल वाउचर्स का पूर्व में भुगतान नही हुआ है।

३- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष २००४-२००५ के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-४२ के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "२०१४-न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-१०५-सिविल और सेशन्स न्यायालय-०३-जिला एवं सेशन न्यायाधीश-४६-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

४- यह आदेश वित्त विभाग के अशा० संख्या-सा-(२)१०४२/दस-२००४ दिनांक ८.६.२००४ में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः- यथोक्त।

Sr. Admin H/A1.

D.R.(M) 9-7-2004

भवदीय,
(मोहन सिंह चौहान)
विशेष सचिव

संख्या-४८२०(१)/दो-४-२००३,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवंआवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(१) महालेखाकार, उ० प्र० इलाहाबाद।
(२) कोषाधिकारी, वाराणसी।
(३) जिला जज, वाराणसी।
(४) संयुक्त निदेशक, कोषागार, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
(५) श्री प्रफुल्ल कमल, अपर सिविल जज (जू०डि०) कोर्ट सं.-२ वाराणसी।

53

D.R.(M)

08 JUL 2004

Sri SK Tripathi

आज्ञा से,
(यतीन्द्र मोहन)
अनु सचिव

Request_90

4820/ड्री-4-03

5 3(15)/03

प्रेषक,

प्रफुल्ल कमल,
अपर सिविल जज(जू. डि.),
कोर्ट सं. 2, वाराणसी।

सेवा में,

सचिव,
नियुक्ति अनुभाग -4,
लखनऊ।

द्वारा: जनपद न्यायाधीश,
वाराणसी।

विषय:- अपने पुत्र अर्चित के हृदयरोग के इलाज में हुये खर्च की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मेरा पुत्र अर्चित हृदयरोग से पीड़ित था, जिसका इलाज व आपरेशन मेरे द्वारा एस्कार्ट हृदय संस्थान एवं अनुसंधान केन्द्र नई दिल्ली में कराया गया, जिसपर कुल 1,79,997/-रू. खर्च हुये जिससे संबंधित कागजात प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि मेरे पुत्र के इलाज में खर्च हुये धनराशि मु. 1,79,997/-रू. की प्रतिपूर्ति प्रार्थी को करायी जाये।

ससम्मान।

भवदीय,

Prafull Kamal 03/11/03

दिनांक: 03.11.2003ई.,

(प्रफुल्ल कमल)
अपर सिविल जज(जू0 डि0),
कोर्ट सं. 2, वाराणसी।

संलग्नक:- 1. सर्टिफिकेट बी की मूल प्रति,।
2. हास्पिटल में भुगतान किये गये धनराशि का बिल।

1415/I 3.11.03

Request-30

53(15)/2003

पृष्ठ क - 5

प्रेषक,

अपर निदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
वाराणसी मंडल वाराणसी।

सेवा में,

अनु सचिव,
नियुक्ति अनुभाग-4,
उत्तर प्रदेश शासन-लखनऊ।

पत्रांक-अ0 नि0/चिकित्सा प्रतिपूर्ति/03-04/956 दिनांक- 5-2-04

विषय-श्री अर्चित पुत्र श्री प्रफुल्ल कमल, अपर सिविल जज (जू0 डि0) कोर्ट सं0-2, वाराणसी के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में आपके पत्रसं0-47/दो-4-2004-53(15)/2003 दिनांक-16-1-04 द्वारा श्री अर्चित के बीमारी पर हुये व्यय से संबंधित बिल/बाउचर एवं अन्य प्रपत्र प्राप्त हुये जिसका परीक्षण किया गया, परीक्षण के उपरान्त यह पाया गया कि श्री अर्चित (Congenital heart disease) से ग्रसित रहे तथा इनका इलाज दिनांक-3-8-03 से 19-8-03 तक एस्कार्ट हर्ट इन्स्टीच्युट एंड रिसर्च सेन्टर-नई दिल्ली में हुआ है पत्र के साथ प्राप्त अनिवार्यता प्रमाणपत्र रु0-114227=00 (एक लाख चौदह हजार दो सौ सत्ताईस मात्र) का प्रतिहस्ताक्षरित कर एवं परीक्षण सीट एंव अन्य प्रपत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे है।

भवदीय

(हस्ताक्षर) 5/2/04
अपर निदेशक
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
वाराणसी मंडल वाराणसी

संलग्नक-1-अनिवार्यता प्रमाणपत्र
2-परीक्षण सीट
3-समस्त बिल/बाउचर मूल रूप में।

(हस्तलिखित) 16/2/04

Registered

Request- 90

To

The Joint Secretary,

Govt. of U.P.,

Appointment Section - 4,

Lucknow

No. 2278 15 /IV-2003- Admn. (A-1) Dated 11-2-04

Subject:- Regarding heart treatment of infant child of Sri Prafulla Kamal, Addl. civil Judge (Junior- Division) Varanasi, taken out side of State.

Sir,

I am directed to send herewith copy of application dated 28-7-03, alongwith its enclosures, of Sri Prafulla Kamal, Addl. civil Judge, (Junior- Division) Varanasi, on the above subject, and to request you kindly to obtain necessary orders of the Govt. and intimate to this court at an early date so that necessary action may be taken in the matter.

D-R,CM
May issue?
[signature]
30-1-04
R. Pandey
30-01-2004
SO A.A.J

Pradeep... AR
31/01/04

[signature]
31/1/04

Yours faithfully
[signature]

Encl:-
Above.

Deputy Registrar

P.T.O.

No. 16/2279 /IV-Admn (A-1) Dated 11-2-04

copy forwarded to the District Judge, Varanasi with reference to his endorsement No. 1029/I dated 29-7-03 for information and communication to the Officer concerned.

By order of the court

Srivastava

Deputy Registrar

Request_90

Register No. 13546
File No. IV/2003
Serial No. 4

27/8/03

R3690
16/8/03
798

27-8-03

प्रेषक,

प्रफुल्ल कमल,
अपर सिविल जज (जू0डि0),
न्यायालय सं0-2, वाराणसी ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
वाराणसी ।

विषय: मेरे नवजात पुत्र के हृदयरोग का उपचार प्रदेश से बाहर कराने की अनुमति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी प्रफुल्ल कमल अपर सिविल जज (जू0डि0) न्यायालय संख्या-2 एवं धर्म पत्नी श्रीमती मीना श्रीवास्तव अपर सिविल जज(जू0डि0)न्यायालय संख्या-3, के एक मात्र नवजात शिशु अर्पित के हृदयरोग से पीड़ित होने के कारण पं0 दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय में डाक्टर सेसलाह लिया । मेरे नवजात शिशु के गंभीर हृदय रोग के कारण डाक्टर द्वारा एस्कार्ट हृदय संस्थान, दिल्ली ले जाये जाने हेतु परामर्श दिया गया एवं रेफर किया गया । नवजात शिशु के इलाज हेतु मुझे एस्कार्ट हृदय संस्थान दिल्ली जाना अत्यन्त आवश्यक है ।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में अनुरोध है कि मुझे अपने पुत्र के उपचार एवं परिचर के साथ एस्कार्ट अस्पताल दिल्ली में कराने हेतु शासकीय अनुमति दिलाने की कृपा करें ।

इसके लिये मैं सदा आपका आभारी रहूँगा ।

"सतसम्मान",

भवदीय,
Prafull Kamal
25/07/03
(प्रफुल्ल कमल)
अपर सिविल जज(जू0डि0)
न्यायालय सं0-2, वाराणसी।

दिनांक: 28. 7. 2003ई0।

संलग्नक:
1. डाक्टर द्वारा एस्कार्ट अस्पताल दिल्ली, में उपचार हेतु दिये गये परामर्श की छाया प्रति।
2. डाप्लर टेस्ट की रिपोर्ट की छाया प्रति ।

(03) 3713
S.O. Admin. H/A1

D.R.(M)
26-8-2003

On BJS

1029 / I दिनांक 29.7.03
अग्रसारित,
जनपद न्यायाधीश
वाराणसी

(31) 28.7.03
D.R.(M)
2 AUG 2003

Feasist-90

पं० दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय

वाराणसी

१५ दिनों के लिए वैध

हम दो हमारे दो

3०779

क्रम सं०

८/- रु० मात्र

[१] प्रत्येक कार्य दिवस को प्रतिरक्षण का कार्य होता है।

[२] नेत्र दान करें—मरने के बाद भी अपना नेत्र जीवित रखें।

रोगी का नाम — अर्पित — आयु 3½ Month.

तारीख एवं अन्य विवरण-	उपचार—
3.7.03	
c/o Breathlessness	Δ Transposition of great vessels c̄ Atrial Septal defect
	Ref to advanced Heart Centre / AIIMS / Escorts for mx ...

Counter sign

3.7.03

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

पं० दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय

वाराणसी

3.7.03

Request-90 FAX

To, SHRI DHRUB KUMAR SHRIVASTAVA;
011-23812506

Dr. Devi Ram
MD MRCP
Consultant Physician & Cardiologist

MODERN CLINIC
LINE BAZAR
PURNIA, BIHAR
Tel : 223179

Date : 20-05-03

Master. Archit 2 Months, Saharsha
Refd by Dr. A. Rahman MD, Senior Consultant Paediatrician, Saharsha

Preliminary Echocardiography Report

Thank you for referring the patient for Echocardiography, which showed as follows:

Transposition of Great Vessells with Aorta arising from Rt Ventricle and Pulmonary Artery from Lt Ventricle noted. Aorta was noted anterior to Pulmonary Artery (Just opposite to normally seen)

Moreover Atrial Septal Defect with Dilated Rt Atrium & Rt Ventricle noted

Situs Solitus with Ventricles and Atrias normally placed with normal Atrioventricular Concordance noted.

Impression : Transposition of Great vessels with Atrial Septal Defect

Note : Reassesment in a Cardiac Centre by Paediatric Echocardiologist recommended e.g. Escorts Hospital, ND.

With thanks & regards

Dr. D. Ram

ally signed by Sant Lal Sharma
2019.11.07 15:26:08 IST
on: A.R.(ADMIN-H)
tion: High Court, Allahabad